न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

अनवान -

01- राजविन्द्र कौर जम्मू पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह जम्मू जाति कम्बोसिख निवासी 3 जी0बी0-ए तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

--प्रार्थी--

बनाम-

01- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर

--अप्रार्थीगण--

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट)

प्रकरण संख्या -01/2025 निर्णय दिनांक- 1-1-2025

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि राजविन्द्र कौर जम्मू पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह जम्मू जाति कम्बोसिख निवासी 3 जी0बी0-ए तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 3 जी0बी0-ए का प0न0 114/375 का मु0न0 38 में कुल 2.974 हैक्टर भूमि अलग-अलग खरीद की थी जिसके कारण मेरी खरीद की गई उपरोक्त भूमि का इंतकाल ऑटोम्युटेशन के कारण जमावन्दी में तीन से इंतकाल दर्ज हो गया था इस वजह से रहन का नामांतकरण दर्ज नही हो पा रहा है। इसलिए प्रार्थीया अपनी खरीद की गई भूमि में अपना नाम एक ही जगह दर्ज करवाना चाहती है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उप तहसीलदार जैतसर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उप तहसीलदार जैतसर की रिपोर्ट क्रमांक 2189 दिनांक 30.12.2024 के अनुसार चक 3 जी0बी0-ए के प0न0 114/375 (38) में कुल 2.974 हैक्टर भूमि का प्रार्थीया राजविन्द्र कौर पत्नि भूपेन्द्र सिंह द्वारा जरिये बैयनामा क्रय की गई थी। प्रार्थीया द्वारा उक्त रकबा के अलग-अलग बैयनामो द्वारा खरीद किये जाने के कारण जरिये ऑटोम्यूटेशन जमावन्दी में क्रेता राजविन्द्र कौर का तीन बार नाम दर्ज हो गया है। एक ही जमावन्दी में तीन बार नाम दर्ज होने के कारण इस खाते में अन्य कोई नामान्तरण दर्ज नही हो पा रहा है। उक्त रकबा की जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की तीन बार दर्ज प्रविष्ठी को सही करने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय का अनुतोष चाहा गया है कि चक 3 जी0बी0-ए का प0न0 114/375 का मु0न0 38 में कुल 2.974 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का 03 जगह नाम दर्ज हो गया है जिसे प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर 01 ही जगह अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में आये दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर चक 3 जी0बी0-ए का प0न0 114/375 का मु0न0 38 में कुल 2.974 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया का 03 जगह दर्ज नाम को दुरूस्त कर 01 जगह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्णय की प्रति भिजवाकर पालना की जाकर कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 1-1-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:14 IST
Reason: SelfAttested

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner